

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

खारखार ज.रि.वे रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम किरोडी श. श्यामा जोशी
प्रकरण अर्थात् धारा 81 प्रलयाय प्रक.

प्रकरण संख्या :- RA (9/2018

निर्णय दिनांक :- 25/2/2018

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दास मसारी
की जा.सं.सं. 1231... खूब रकमा 0.73... किरम प्रमीन मसारी में से 0.04
रकमे पर भी किरोडी S/b श्यामा जोशी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
जोत कर काज्जा कर लिया है। इस मर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक
4/6/18 को उजरे विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मर ताईब
शु.अ.निरी. दारीप के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अक्रमणी किरोडी S/b श्यामा जोशी विधारी मसारी को शु.
राजस्थ अधिनियम 1985 की धारा 81 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तारीख
कराई गई। नोटिस बाद तारीख प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमणी
उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

खूब रकमा ^{नदी} जा.सं.सं. 1231... रकमा 0.73... में से 0.04
रकमे किरम मसारी के जो विरुद्ध मर याचनी है कि हाजा अंशदायक की अतिक्रमणी
रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उजरे खकम लगान 30 Paise का
50 गुणा 19/5 रकमे पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी शु.अ.निरी. दारीप
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

612
तहसीलदार
कठुमार (अलवर)

अतिरिक्त - प. ६

रा. नि. सं. 4 के अंतर्गत 40... 9
सं. 2018-19... 19.1

12/3/19
सहायक पटवारी